फा.सं. : 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खण्ड-XIV/2148-63
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(सामान्य प्रशासन शाखा/General Administration Branch)

धर्मशाला-176215 **21 अप्रैल, 2021**

कार्यालय आदेश

COVID-19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए तथा इसके प्रसार की रोकथाम हेतु उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जारी आदेश सं. 1501-1550 SK/DM दिनांक 20.04.2021 की अनुपालना में एवं कार्यालय आदेश सं. 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खण्ड-XIV/2055-68 दिनांक 15.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा शैक्षणिक कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित आदेश जारी किये हैं:-

i. सभी अध्यापक दिनांक 22.04.2021 से आगामी आदेशों तक अपने-अपने मुख्यालय स्थित निवास स्थान से ऑनलाइन कक्षायें एवं अध्यापन कार्य करेंगे तथा अध्यापकों को विश्वविद्यालय के संबंधित परिसरों में उपस्थिति की छूट (exemption) रहेगी ।

ii. सभी अध्यापक अपने ऑनलाइन अध्यापन से निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में भरकर संबंधित विभागाध्यक्ष / निदेशक को अनिवार्य रूप से देंगे । संबंधित विभागाध्यक्ष / निदेशक प्राप्त रिपोर्ट को संकलित करके संबंधित अधिष्ठाता के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित करेंगे ।

iii. विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / निदेशक / चेयर प्रोफेसर सामान्य कार्यदिवसों की भांति संबंधित मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति देते रहेंगे जिससे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य अनवरत रूप से संचालित हो सकें । संबंधित कार्यालय प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्य उपेक्षित (Unattended) न रहे ।

iv. सभी शैक्षणिक कर्मी कार्यालय समय के दौरान घर से कार्य करने हेतु दूरभाष एवं अन्य संचार माध्यमों से उपलब्ध रहेंगे ।

v. कोई भी शैक्षणिक कर्मी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानावकाश व अन्य आवेदित अवकाश की पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे ।

vi. आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शैक्षणिक कर्मी को कार्य स्थल / मुख्यालय पर उपस्थित होने हेतु बुलाया जा सकता है ।

vii. विश्वविद्यालय के 45 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के शैक्षणिक कर्मियों को COIVD-19 वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है ।

2. यह माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

(हेम राज)
कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. मानद निदेशक, हि.प्र.के.वि., सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
2. समन्वयक, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा ।
3. विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
5. विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न अध्ययन पीठों के सभी चेयर प्रोफेसरगण ।
6. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धौलाधार परिसर, धर्मशाला ।
7. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला ।
8. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
9. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
10. उप पुस्तकालय अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा ।
11. पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रो. एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय, सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
12. निदेशक, कंप्यूटर सेंटर, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
13. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अद्यतन करने एवं उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
15. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
16. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कर्मीगण- कृपया उपर्युक्त वर्णित निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित ।

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

ANNEXURE-I to

(कार्यालय आदेश संख्या:1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड-XIV2148-63 दिनांक : 21.04.2021)

Status of Online Education in Department of ________ as on ________							
Dated	No. of Total enrolled students	No. of students using online learning mode	% of students using online learning mode	No. of Total faculty	No. of faculties using online teaching mode	% of faculties using online teaching mode	Remarks, if any